बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 376462 पटना, दिनांक 26.06.2018

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(प्रखण्ड अनु0)-102-33/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु विशेष अभियान चलाने के तहत दिये गये निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन एवं 3 (तीन) लाख आवासों को 15.08.2018 तक पूर्ण कराने के संबंध में।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-372776 दिनांक-01.06.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा दिनांक-15.08.2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज्य में 3(तीन) लाख आवास को पूर्ण करने तथा इंदिरा आवास योजना अंतर्गत सभी 6(छह) लाख अपूर्ण/निर्माणाधीन आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस उद्देश्य से प्रासंगिक पत्र के माध्यम से एक माह के लिए कार्य योजना तैयार कर विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया था । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के निर्धारित लक्ष्य में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्यर्पित लक्ष्य के विरूद्ध केन्द्र सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद इसे सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) में परिवर्तित करते हुए विभागीय पत्रांक-375781 दिनांक-20.06.18 से इस कोटि में प्रतीक्षा सूची के 2.46 लाख परिवारों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का निदेश दिया गया है, जिसका कालबद्ध अनुपालन अत्यावश्यक है । विभाग स्तर से आवास सॉफ्ट के माध्यम से योजना के प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है । इस क्रम में दिनांक 14.06.18 को योजना के प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से की गई, जिसमें योजना की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई । विभिन्न जिलों के उप विकास आयुक्त द्वारा सूचित किया जा रहा है कि योजना के कार्यान्वयन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के कारण प्रगति प्रभावित हुई है । माह जून एवं जुलाई 2018 हेतु विशेष अभियान संबंधी प्रासंगिक पत्र में विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित तिथियों को संशोधित करते हुए कालबद्ध रूप में निम्नवत् कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है :-

(1) **<u>दिनांक 30.06.2018 तक की अवधि में निष्पादित किये जाने वाले कार्य</u> :-**

(i) प्रासंगिक पत्र की कंडिका-4(i) में जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित सभी आवासों एवं प्रखण्ड स्तर पर दिनांक-20.06.18 तक आवास सॉफ्ट पर लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत निबंधन तथा निबंधित सभी आवासों को स्वीकृति

प्रदान करने का निदेश दिया गया था, किन्तु अबतक वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के कुल वास्तविक लक्ष्य 7,34,769 के विरूद्ध 6,45,533 आवासों को ही स्वीकृति प्रदान की गई है (जिलावार विवरणी संलग्न) । अतएव स्वीकृति हेतु लंबित सभी आवासों को दिनांक 30.06.2018 तक जिला स्तर से हर-हाल में स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय । दिनांक-30.06.2018 के पश्चात् स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों तथा प्रथम किश्त लंबित रखने का स्पष्ट कारण नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा ।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अबतक 5,96,973 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया गया है, जिसके विरूद्ध अबतक मात्र 2,66,280 लाभुकों को ही द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया गया है । अत: प्रथम किश्त का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात द्वितीय किश्त भुगतान नहीं किये गये 3,30,693 लाभुकों में से निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने वाले सभी लाभुकों को दिनांक 30.06.2018 तक निश्चित रूप से द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया जाय । दिनांक-30.06.2018 के पश्चात किसी भी योग्य परिवार को द्वितीय किश्त की विमुक्ति के लंबित रखे जाने को गंभीरता से लिया जाएगा । जितने भी द्वितीय किश्त के मामले लंबित रहेंगे उनका शत-प्रतिशत सत्यापन स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी व ग्रामीण आवास प्रवेक्षक द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित ग्राम आवास सहायक के पंजी में लाभुकों के पृष्ट पर अयोग्यता का कारण अंकित किया जाएगा । यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी उप विकास आयुक्त व निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन की होगी ।

(iii) इसी प्रकार द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त 2,66,280 लाभुकों में से निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने वाले सभी लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान दिनांक 30.06.2018 तक सुनिश्चित किया जाएगा । ग्रामीण आवास सहायक द्वारा योग्य प्रतिवेदित सभी लाभुकों का प्रखंड विकास पदाधिकारी व ग्रामीण आवास प्रवेक्षक द्वारा स्वयं सत्यापन करते हुए ग्रामीण आवास सहायक की पंजी पर अपना मंतव्य अंकित किया जाएगा ।

(iv) विभागीय पत्रांक-375781 दिनांक-20.06.18 से जिलों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्यर्पित लक्ष्य को केन्द्र सरकार से स्वीकृति के उपरांत सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) में परिवर्तित लक्ष्य को सभी जिलों को संसूचित किया गया है । चूँकि इस कोटि में प्रतीक्षा सूची में पर्याप्त संख्या में लाभार्थी मौजूद हैं, अत: परिवर्तित लक्ष्य के विरूद्ध शत् प्रतिशत लाभार्थियों की स्वीकृति दिनांक 30.06.18 तक दी जाय । इसे अनिवार्यत: सुनिश्चित कराया जाएगा तथा उपर्युक्त कंडिका-1(i) के अनुरूप ही दिनांक-30.06.2018 के पश्चात बिना ठोस कारण के स्वीकृति हेतु लंबित व स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त हेतु लंबित मामलो को गंभीरता से लिया जाएगा ।

(v) विभागीय पत्रांक-370600 दिनांक-22.05.18 से प्रतीक्षा सूची में आवास की आवश्यकता वाले छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने हेतु दिये गये निदेश के तहत पात्र परिवारों का नाम शामिल करने की प्रक्रिया दिनांक 30.06.18 तक पूर्ण की जाय ।

(vi) विभागीय पत्रांक-367885 दिनांक-07.05.18 से प्रतीक्षा सूची में शामिल अयोग्य परिवारों का नाम हटाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश दिया गया था । इस संबंध में दिनांक 30.06.18 तक यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रतीक्षा सूची में किसी भी अयोग्य परिवार का नाम शामिल नहीं है ।

(2) **<u>दिनांक 15.07.2018 तक किये जाने वाले कार्य</u>** :-

(i) दिनांक 30.06.18 तक प्रथम किश्त प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों में से निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले सभी लाभुकों को द्वितीय किश्त तथा द्वितीय किश्त प्राप्त सभी लाभुकों में से निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले सभी लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान दिनांक 15.07.2018 तक कर दिया जायेगा ।

(ii) इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अबतक राज्य में 6,01,021 आवास अपूर्ण है। इसमें से दिनांक-15.07.2018 तक विभाग स्तर से 2,40,400 (कुल निर्माणाधीन आवास का 40 प्रतिशत) पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिए जिला अंतर्गत कुल अपूर्ण /निर्माणाधीन आवास का 40 प्रतिशत के द्वितीय किश्त का भुगतान कर इसे पूर्ण किया जाएगा ।

(3) **<u>दिनांक 15.08.2018 तक की अवधि में निष्पादित किये जाने वाले कार्य</u>** :-

दिनांक-15.08.2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत न्युनतम 3(तीन) लाख आवासों को पूर्ण कराने तथा इंदिरा आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

विदित हो कि उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में दिये गये निदेशों का अनुपालन होने की स्थिति में ही दिनांक 15.08.18 तक 3 लाख आवास पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि तृतीय किश्त विमुक्ति के पश्चात आवास की पूर्णता हेतु छत ढलाई के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी । ऐसी स्थिति में उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में निदेशित दिनांक 30.06.18 व दिनांक 15.07.18 का लक्ष्य प्राप्त किया जाना अत्यावश्यक होगा । इसका विभाग स्तर से भी सतत् अनुश्रवण किया जाएगा तथा इसमें चूक होने पर जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना बाध्यकारी हो जाएगा ।

विश्वासभाजन

25/6/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव